भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 17

दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रत्येक परिवार के लिए नल से पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था

17. श्री के० रहमान खानः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के प्रत्येक परिवार को नल के माध्यम से पेयजल प्रदान करने की घोषणा की है;

(ख) सरकार इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने का विचार रखती है; और

(ग) सरकार ने अपना लक्ष्य किस हद तक प्राप्त कर लिया है, नल से पेयजल की सुविधा प्राप्त करने वाले और अभी तक इस सुविधा से वंचित परिवारों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) और (ख) : इस मंत्रालय ने 2011-2022 अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु एक रणनीतिक योजना तैयार की है। इसके अनुसार, कम से कम 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को एक घरेलू कनैक्शन के साथ वर्ष 2022 तक नलजल आपूर्ति उपलब्ध कराना है। दिनांक 01.04.2017 तक, 16.69 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनैक्शन के साथ नल जल आपूर्ति द्वारा कवर किया गया जा चुका है। ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है और राज्यों को स्कीमों की योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकारों को निर्देश/सलाह दी गई है कि वे देश की ग्रामीण बसावटों में नल जल आपूर्ति स्कीमों के स्टैंड-पोस्ट के जरिए अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करें ताकि इसके माध्यम से अधिकतम संख्या में परिवारों को कवर किया जा सके। घरेलू कनैक्शन एक स्वैच्छिक कार्य है जो भुगतान के आधार पर ग्रामीण आबादी को उपलब्ध है जिसके लिए राज्यों को विस्तृत सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) कार्यकलापों की सिफारिश की गई है।

(ग) जैसा कि इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 11.07.2017 तक नल कनेक्शन के साथ नल जल आपूर्ति प्राप्त करने वाले परिवारों का राज्य वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक		
पीडब्ल्यूएस कनेक्शन के साथ वैयक्तिक परिवारों का प्रतिशत		
क्र.सं.	**राज्य**	**11.07.2017 तक पीडब्ल्यूएस से कुल घरेलू कनेक्शनों का प्रतिशत**
1	अंडमान और निकोबार	10.15
2	आंध्र प्रदेश	28.59
3	अरुणाचल प्रदेश	6.34
4	असम	2.03
5	बिहार	1.14
6	छत्तीसगढ़	7.79
7	गोवा	0
8	गुजरात	72.61
9	हरियाणा	47.59
10	हिमाचलप्रदेश	56.6
11	जम्मू एवं कश्मीर	28.44
12	झारखंड	3.78
13	कर्नाटक	40.48
14	केरल	15.04
15	मध्य प्रदेश	9.62
16	महाराष्ट्र	36.62
17	मणिपुर	4.79
18	मेघालय	1.15
19	मिजोरम	13.47
20	नागालैंड	4.91
21	ओडिशा	3.7
22	पुडुचेरी	50.35
23	पंजाब	46.94
24	राजस्थान	12.11
25	सिक्किम	99.32
26	तमिलनाडु	28.92
27	तेलंगाना	32.61
28	त्रिपुरा	2.45
29	उत्तरप्रदेश	0.45
30	उत्तराखंड	13.8
31	पश्चिमी बंगाल	0.67
कुल		**16.69**

स्रोत : फॉर्मेट सी-36